बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

स0–4/आ0 वि0 (संधा0)– 01–02/2017– 59

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार (भा0 प्र0 से0)
निदेशक।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी, गोपालगंज ।

पटना, दिनांक– 12.09.17

विषयः **वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय, हथुआ, गोपालगंज के संधारणार्थ संविदा सेवायें मद में ₹20,00,000/– (बीस लाख रु0) मात्र की राशि का अतिरिक्त आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए आबंटनादेश संख्या–08 दिनांक–22.05.2017 द्वारा संविदा सेवायें मद में कुल ₹10,00,000/–(दस लाख रू) मात्र की राशि आबंटित की गयी थी। जिला कल्याण पदाधिकारी, गोपालगंज के ज्ञापांक–829 दिनांक–3107.2017 द्वारा उक्त मद में मॉगी गई अतिरिक्त राशि के आलोक में राजकीय अंबेदकर आवासीय उच्च विद्यालय, हथुआ, गोपालगंज के संधारणार्थ, संविदा सेवायें मद में कुल **₹20,00,000/– (बीस लाख रु0)** मात्र की अतिरिक्त राशि आबंटित की जाती है।

2– कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2017–18 में आय–व्यय शीर्ष मांग संख्या–44–"2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण लघु शीर्ष–277–शिक्षा, उप शीर्ष–0003–आवासीय विद्यालय, विपत्र कोड संख्या –44–2225012770003 कूल संख्या 28.02–संविदा सेवायें के के अंतर्गत विकलनीय है।

3– इस आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी गोपालगंज होंगे । संबंधित प्रमंडलीय उपनिदेशक कल्याण इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे ।

4– वित्त विभाग के पत्र सं0–2561 दिनांक 17–4–98 एवं पत्रांक–एम0–4–05/ 98–2607/ वि(2) दिनांक–20/4/98 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों एवं परिपत्रों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया जायेगा ।

5– व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समेकित रूप से निदेशक अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को प्रमंडलीय उपनिदेशक कल्याण उपलब्ध करायेंगे।

6– सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

7– आवंटनादेश में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

8– इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दी जा रही है।

9– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार) 12/9/17
निदेशक

ज्ञापांक– 4/आ० वि० (संधा०)– 01–02/2017– 59 पटना, दिनांक – 12.09.17

प्रतिलिपि : (1) महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/ सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/ कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज /उप कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज / प्रमंडलीय आयुक्त, सारण / जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/ उप विकास आयुक्त, गोपालगंज/ उप निदेशक, कल्याण, सारण प्रमंडल/आई०टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 11/9/17